संख्या-13/2017/473/तीस-4-2017-6(रिट)/2015

प्रेषक,

आराधना शुक्ला,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

परिवहन अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक: 23 मार्च, 2017

विषय: प्रदेश के मार्गों पर भार वाहनों में ओवरलोडिंग की रोक-थाम एवं अवैध वाहन संचालन तथा डग्गामार हेतु विशेष अभियान चलाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के पत्र संख्या-50/तीस-4-2017, दिनांक 02.03.2017 द्वारा प्रत्येक जनपद में वाहनों में ओवर लोडिंग की समस्या एवं अवैध संचालन तथा डग्गामार की समस्या पर अंकुश लगाये जाने के संबंध में जिला स्तर पर निम्नवत् समिति गठित की गयी थी:-

1. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)।
2. अपर पुलिस अधीक्षक।
3. सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन)।

2- उक्त समिति को वाहनों में ओवर लोडिंग की समस्या, अवैध संचालन एवं डग्गामार की समस्या पर अंकुश लगाये जाने हेतु प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही करने एवं प्रत्येक माह की निरीक्षण आख्या अगले माह की 10 तारीख तक जिलाधिकारी के माध्यम से परिवहन आयुक्त/परिवहन विभाग, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये थे।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने मण्डल के जनपद में उपरोक्तानुसार गठित समिति को दूसरे जनपद में भेजकर वहाँ चल रहे अवैध संचालन, डग्गामार एवं वाहनों में ओवर लोडिंग की आकस्मिक चेकिंग कराते हुए प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही सुनिश्चित कराने तथा प्रत्येक माह की निरीक्षण आख्या शासन/परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(आराधना शुक्ला)
प्रमुख सचिव।

संख्या-13/2017/473(1)/तीस-4-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।
4. अपर परिवहन आयुक्त (पश्चिमी, मध्य व पूर्वी) उ0प्र0।
5. समस्त उप परिवहन आयुक्त/संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), उ0प्र0।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नर्वेद सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in